भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3957

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की गुणवत्ता

3957. श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरगुजा सहित विशेषकर जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने हेतु कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरगुजा जिले में खाद्यान्न के गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण, परिवहन और नियमित निरीक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सरणुजा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इन प्रयासों के माध्यम से सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और पात्र लाभार्थियों तक इसके वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानकों को एक समान बनाए रखने के लिए विभाग ने एक गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका तैयार करके जारी की है।

(ख): खाद्यान्नों की गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण, परिवहन और नियमित निरीक्षण के संबंध में उठाए गए कदम का विवरण (छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले सहित) निम्नलिखित है:

गुणवत्ता परीक्षण और नियमित निरीक्षण:

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण तथा यादृच्छिक नमूना परीक्षण किया जाता है।

...2/-

भंडारण:

- **स्मार्ट भांडागार परियोजना:** स्मार्ट भांडागार सभी डिपुओं में वास्तविक समय की दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डेटा-आधारित निर्णय लेना और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित, संरक्षित और कुशल भंडारण और वितरण सुनिश्चित होता है।
- **डिपो दर्पण पोर्टल:** डिपो दर्पण पोर्टल, विभाग द्वारा पीडीएस के तहत खाद्यान्न भंडारण डिपुओं और भांडागारों की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- **साइलो:** साइलो भंडारण थोक खाद्यान्न भंडारण की एक अत्यधिक मशीनीकृत और आधुनिक विधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो बेहतर संरक्षण और बढ़ी हुई शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करता है।

परिवहन: विभाग ने जीपीएस-सक्षम लाइव ट्रैकिंग समाधान, अर्थात् वाहन लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली ((वीएलटीएस) विकसित की है। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्यान्नों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की निरंतर निगरानी हेतु वाहन ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना है, ताकि परिवहन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की चोरी एवं हेराफेरी को रोका जा सके।

(ग): विभाग द्वारा प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रचालन योजना को सुदृढ़ बनाना, खाद्यान्नों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था में सुधार करना तथा खाद्यान्नों की खरीद, संरक्षण एवं संपूर्ण आपूर्ति शृंखला प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता एवं सटीकता सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा देश में (छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र सहित) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. **डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग:** सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस 100% डिजिटाइज़ हो गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं, जिससे अपात्र/डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाया गया है।

ii. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।

...3/-

iii. **ऑनलाइन आबंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण:** सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया; 31 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया गया (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और शहरी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण अपनाया है)।

iv. **उचित दर दुकानों स्तर पर ईपीओएस-आधारित आधार प्रमाणीकरण:** 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानों को ईपीओएस डिवाइस से स्वचालित किया गया है, जिससे वितरण के समय लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और राशन की हेराफेरी पर रोक लगती है।

v. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):** सभी 36 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों के छूटने और डुप्लिकेट दावे करने की समस्या कम हुई है।

vi. **वास्तविक पात्र लाभार्थियों को लक्षित करना:** आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके एक विशेष डि-डुप्लीकेशन तथा लाभार्थी सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें अपात्र/डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें हटाया गया; इसमें 5.95 करोड़ लाभार्थियों को चिह्नित किया गया (ज़मीन के मालिकाना हक वाले मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ लाभार्थियों को हटाया गया।

vii. **स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल:** इसे राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण के मॉड्यूल के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य-स्तर पर टीपीडीएस के प्रचालन को और अधिक मानकीकृत तथा डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा सके।

viii. **निर्मल और सक्षम:** सार्थक-पीडीएएस व्यापक योजना (2026–31) के तहत नई पहलें की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य डाटा संरचना/विश्लेषिकी (निर्मल) को सुदृढ़ करना और खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया (सक्षम) में वास्तविक समय डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) सुनिश्चित करना है।
